

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 29.08.2023

नाबालिग का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में, प्र०नि० थाना गोरखनाथ के नेतृत्व में थाना गोरखनाथ की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 508/2023 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मिठू यादव पुत्र रामआशीष यादव निवासी संझाई थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभियुक्त मिठू यादव पुत्र रामआशीष यादव निवासी संझाई थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 508/2023 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० राकेश कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 2.का० दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 3.का० अमरदीप यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर